In the court of A.C.J.M, Birual

T.R- 907/18 अरुण यादव
G.R.- 68/07

31.01.2020

कुल तीन अभियुक्तों में से तीनों अभियुक्त 1. अरुण यादव 2. नंदकिशोर यादव 3. शंभू यादव अनुपस्थित। अभिलेख अवलोकनोंपरांत स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद सन् 2007 ई0 का है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन, जमानतीय अधिपत्र, गैर–जमानतीय अधिपत्र और धारा 82 एवं 83 द0प्र0स0 की प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, इसके बावजूद अभियुक्तगण न्यायालय में आज तक उपस्थित नहीं हुए। सम्बंधित थाना प्रभारी भी अभियुक्तों को गिरफ्फतार कर न्यायालय में उपस्थापित नहीं कर सके हैं। इससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तों के न्यायालय में उपस्थिति की कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को फरार घोषित किया जाता है।

अभियोजन को धारा 299 द0प्र0स0 के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसे अभियोजन के द्वारा इन्कार कर दिया गया। विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी धारा 299 द0प्र0स0 के अन्तर्गत साक्ष्य देना नहीं चाहते हैं। अतएव वाद को साक्ष्य की धारा 299 द0प्र0स0 के अन्तर्गत लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्त का नाम फरारी पंजी में दर्ज करें तत्पश्चात अभियुक्तगण 1. अरुण यादव 2. नंदकिशोर यादव 3. शंभू यादव के विरुद्ध स्थायी गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत करें तथा इसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दें।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के पश्चात अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी